संख्या-2/2022/सी0पी0-514/चौरासी-2-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र ,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456 के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3804/एस0सी0डी0आर0सी0/ यू0पी0/ब0आ0/20-21 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्ष " 3456- सिविल पूर्ति- आयोजनेत्तर-001- निदेशन तथा प्रशासन-06 - उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान - मानक मद- 06 अन्य भत्ते, मानक मद- 42 अन्य व्यय एवं मानक मद-55 मकान किराया भत्ता में हो रही बचतों से मानक मद- 04 यात्रा व्यय, मानक मद- 16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं मानक मद-49 चिकित्सा व्यय में संलग्न बी0एम0 9 के विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदया धनराशि रू0 19.00 लाख (रूपये उन्नीस लाख मात्र) को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) विभाग द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा ।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी ।
(5) विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा ।
(6) विभाग द्वारा व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या- 247/ई-7/ दस/ 2021, दिनांक 06 जनवरी, 2022 में प्रदत्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

अशोक कुमार मिश्र
उप सचिव।

संख्या /2022/ सी0पी0-514/ चौरासी-2-2021 तददिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय ,उ0 प्र0, इलाहाबाद प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय ,उ0 प्र0, इलाहाबाद प्रयागराज।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त(लेखा) अनुभाग-1 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in